न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मु0न0 — 27/2023

उनवान : —

1. केहरसिंह पुत्र रामचन्द जाति जाट आयु 54 वर्ष
2. जसवन्तसिंह पुत्र रामचन्द जाति जाट आयु 50 वर्ष
3. भरतसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट आयु 48 वर्ष निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा त0 भादरा।
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधी बड़ी जरिए शाखा प्रबंधक शाखा गांधीबड़ी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री रामचन्द्र बैनीवाल प्रार्थी

निर्णय दिनांकः 23-08-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एस डी आर के खाता संख्या 46/48 के मु0न0 13 के किला नं0 25/1, 25/2, मु0न0 28 के किला नं0 3/1 की 0.202है0, किला नं0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 13, 14/1, 16/1, 16/2, 17/1, 24, 25/3, 25/4 कुल किता 18 की 2.7300है0 नहरी 2.6050 गै0मु9 रातस्ता 0.125है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण स्वयं की भूमि मु0न0 28 के किला नं0 3/1 में किला के पश्चिमी तरफ 3 बिस्वा चौड़ाई में किला लाईन के पास रास्ता स्वीकृत कराना चाहते हैं ऐसी सुरत में भूमि के बदले भूमि या डीएलसी राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 को वकील प्रार्थी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि चक 6 एस डी आर के खाता संख्या 46/48 के मु0न0 13 के किला नं0 25/1, 25/2, मु0न0 28 के किला नं0 3/1 की 0.202है0, किला नं0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 13, 14/1, 16/1, 16/2, 17/1, 24, 25/3, 25/4 कुल किता 18 की 2.7300है0 नहरी 2.6050 गै0मु9 रातस्ता 0.125है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण स्वयं की भूमि मु0न0 28 के किला नं0 3/1 में किला के पश्चिमी तरफ 3

Scanned with OKEN Scanner

बिस्वा चौड़ाई में किला लाईन के पास रास्ता स्वीकृत कराना चाहते हैं ऐसी सूरत में भूमि के बदले भूमि या डीएलसी राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। उक्त रास्ता के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद बाबत प्रार्थी ने आपसी सहमती पेश किया है जिसके मुताबिक प्रार्थीगण के मध्य किसी भी प्रकार का लेन–देन व रास्ता की भूमि के एवज में भूमि का आदान–प्रदान नहीं हुआ है और ना ही प्रार्थीगण इस प्रकार से आदान–प्रदान करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी चक 6 एस डी आर के खाता संख्या 46/48 के मु0न0 13 के किला नं0 25/1, 25/2, मु0न0 28 के किला नं0 3/1 की 0.202है0, किला नं0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 13, 14/1, 16/1, 16/2, 17/1, 24, 25/3, 25/4 कुल किता 18 की 2.7300है0 नहरी 2.6050 गै0मु9 रातस्ता 0.125है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण स्वयं की भूमि मु0न0 28 के किला नं0 3/1 में किला के पश्चिमी तरफ 3 बिस्वा चौड़ाई में किला लाईन के पास रास्ता स्वीकृत कराना चाहते हैं इस प्रकार मुताबिक सहमती प्रार्थीगण के अपनी खातेदारी में आवागमन तथा नियमित उपयोग– उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 6 एसडीआर के खाता सं0 46/48 के मु0न0 28 के किला न0 3/1 में पश्चिमी तरफ 3 बिस्वा चौडाई में किला लाईन के पास रास्ता स्वीकृत किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन करे।

निर्णय आज दिनांक 23-08-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़